

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 282/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

उदराम पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री दयालाराम भाटी वकील-वादी

पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 17/12/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री दयालाराम भाटी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि ग्राम पल्लू के खाता सं. 157/25 के ख.नं. 639/274 की 14.4153 है. में से 4/25 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम उदयराम पुत्र गिरधारी जाति मेघवंशी निवासी पल्लू के स्थान पर उदराम पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी पल्लू दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.12.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

